

मु.नं. 12/25 अर्चना चौधरी / केशर

12-3-26 पत्रावली पेशा दुर्घा उभयपक्ष के वकील उपर
चूंकि मूलवाद में निर्णय एवं अंतिम डिक्ली
पारित की जा चुकी है, इस कारण उक्त
प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
होने से प्राथमिक का प्रार्थना-पत्र खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर
से कम है।

अधीक्षक अधिकारी
कोर्ट (अजमेर)

एक साक्षात्कार कार्यवाही, इस एवं लिखावट
के संशय पर साक्षात्कार की अवधि 0.5
घण्टा की साक्षात्कार के लिए लिखावट : कर
है। कि एवं कि

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

अर्चना चौधरी

बनाम

केशर

किस्म मुकदमा :- 2128-T.A-4

नंबर 12 ... वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/12/25	<p>कार हितोत्पन्न</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-12-25 को पेश हो।</p> <p>18-12-25 पत्रावली पेश हुई। अभ्यपक्ष के वकील उप. जवाब प्रति प्रार्थना-प्रब हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-1-26 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
22-1-26	<p>कार हितोत्पन्न</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. जवाब P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। सरकार अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-2-26 को पेश हो।</p> <p>26-2-26 पत्रावली पेश हुई। अभ्यपक्ष के वकील उप. प्रार्थना की ओर से जवाब प्रति प्रब व प्रब (0-8A-9) पेश किया। प्रब (0-8A-9) पर बहस सुनी जाकर उक्त प्रब को वकील करने के आदेश दिये जाते थे। आधी सं. 1 से 3, 5 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध क्षपणीय कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि 05-3-26 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
5-3-26	<p>कार हितोत्पन्न</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-3-26 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	